

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. प्रभु दयाल पुत्र परता जाति बलाई निवासी गणेश्वर तहसील
नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

-प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 717/2025

जीसीएमएस नं0 2025/1389


आदेश

दिनांक - 14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन
ग्राम गणेश्वर पटवार हल्का गणेश्वर तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 20
में प्रार्थी की गलत दर्ज जाति "प्रभूदयाल पुत्र परता, जाति चमार" के स्थान
पर सही व वास्तविक नाम/जाति "प्रभूदयाल पुत्र परता, जाति बलाई "
दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना
आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)